

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
एवं सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति)
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार,
नई दिल्ली।

पत्रांक: वै०सहा०/एन०ओ०सी०/ /2018-19 दिनांक: ३४-६-४

विषय: सेण्ट मेरीस स्कूल, आवास विकास, बुद्धि विहार, मुरादाबाद को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा (7) अनुमान के शासनादेश संख्या: 1916/15-7-09-01(299)/2007 दिनांक 14.07.2009 के अनुपालन में आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सेण्ट मेरीस स्कूल, आवास विकास, बुद्धि विहार, मुरादाबाद विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैं:-

- 1— विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नाभित एक सदस्य होगा।
- 2— विद्यालय कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेवावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 3— निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत 25 प्रतिशत निर्धन वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करना अनिवार्य होगा।
- 4— फीस उन्हीं मद्दों में चार्ज किये जायें जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हो। फीस की दर इतनी होनी चाहिए जो सामान्यतः उस क्षेत्र में पूर्व में स्थित ऐसे अन्य विद्यालयों में चार्ज किया जा रहा है। काशनमनी/भवन शुल्क इत्यादि ऐसे मद्दों पर शुल्क न चार्ज किया जाये।
- 5— स्कूल सुरक्षा नीति, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 6— संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 7— संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 8— कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 9— राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

- 9— राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनक पालन करेंगी
- 10— विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकारों में रखा जायेगा।
- 11— राज्य सरकार एवं सीएबीएसरई. नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार मूमि, भवन एवं इवास्थापना सुविधाओं की उपलब्धता समबद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 12— उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वनुगोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं दिया जायेगा।

यह अनापत्ति प्रमाण—पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ, निर्गत किया जाता है कि संस्था हृषीकेश संख्या: 2762/15-13-91-4(46)/91 दिनांक 30.11.1991 में उल्लिखित प्रतिबन्धों का समाप्त होने की नियमावली में 03 माह के अन्दर कराया जाये।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता वर्ती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र वापस लिया जायेगा।

भवदीय

डॉ० (महेन्द्र देव)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
एवं सदस्य सचिव
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

पृष्ठां: कै०८३०/८३०००४००००/ ३५२५-२१ /2018-19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्तव्यान्वयी हेतु प्रेषित—

1— सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आधिकारिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।

2— आमुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।


3— शिक्षा निदेशक (भा०) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4— जिलाधिकारी, मुरादाबाद।

5— जिला विद्यालय नियोजक, मुरादाबाद।

6— प्रबन्धक, सेण्ट मेरीस स्कूल, आवास विकास, बुद्धि विहार, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित
शासनादेश दिनांक 30.11.1991 में उल्लिखित प्रतिबन्धों का समर्वेश 03 माह के अन्दर सोसायटी
बॉयलाज में सम्मिलित कराकर उपलब्ध करायें।


Principal
St. Mary's School
Buddhi Vihar
Moradabad.


Manager
St. Mary's School
Buddhi Vihar, Delhi Road, Moradabad

डॉ० (महेन्द्र देव)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
एवं सदस्य सचिव
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।